न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 55/2019
GCMS CASE NO-2019/00053

1. मनफुल पुत्र श्री पन्नाराम जाति जाट साकिन चाहडसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर।

– अपीलान्ट

वनाम

1. मघानाथ पुत्र श्री भीरूनाथ जाति नाथ साकिन चाहढ़सर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्रनाथ पुत्र श्री गाहड़नाथ जाति नाथ साकिन चाहढ़सर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– उतरवादीगण

उपस्थितिः–
1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री राकेश मनचंदा अधिवक्ता, रेस्पोडेंट
3. राजपैरोकार तहसीलदार सूरतगढ

निर्णय दिनांक 09.09.2024

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम

अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है।

1. यह है कि अपीलाट का रोही चाहडसर जमाबन्दी सवंत 2070 ता 2073 के खाता न. 175/297 के खसरा न. 25 में 1.429 हैक बारानी प्रथम व खसरा न. 27 में 3.566 हैक इसप्रकार इस खाते में कुल 4.995 हेक व खाता न. 176/147 के खसरा न. 26 में 10.927 हैक बारानी प्रथम व खसरा न. 460/26 में 4.148 हैक बारानी दोयम व खसरा न. 462/58 में 0.658 हैक बारानी दोयम व खसरा न. 463/27 में 4.957 हैक बारानी दोयम इस प्रकार कुल 20.690 हैक बारानी प्रथम व दोयम खातेदारी रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें से रास्ता खोलने के आदेश दिये जो कि निम्न कारणों से निरस्ती योग्य है।

यह है कि जैर अपील रकबा के खसरा न. 26 व 463/27 की सींव पर से स्वीकृत शुदा रास्ता है इसके अलावा अन्य ही से कोई रास्ता नही व इस स्वीकृत शुदा रास्ता के अलावा अपीलाटं के रकबा में से कोई भी रास्ता आज तक कभी भी नही चला है व ना ही रास्ता स्वीकृत हुआ है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा इस सबंध में कोई रिपोर्ट नहीं ली गई कभी मौका नही देखा गया ना ही मातहत न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुना गया मात्र उतरवादी न. 1 व 2 के एक प्रार्थना पत्र पर अपीलाट के खातेदारी रकबा पर रास्ता खोलने के आदेश जारी कर दिये। जबकि उतरवादी न. 1 व 2 का इस रास्ता पर कोई रकबा नही पड़ता व ना ही इस रास्ता का कोई लेना देना है इसलिये भी अपील स्वीकार

अति जिला कलक्टर
(जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:15:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

योग्य है व जैरअपील आदेश काबिल निरस्ती के है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अनुसार स्वीकृति शुदा रास्ता को खुलवाने का अधिकार 45 दिन तक ग्राम पंचायत को होता है परन्तु मातहत न्यायालय ने कानुन के विपरीत जाकर जैर अपील आदेश क्षेंत्राधिकार से बाहर जाकर किया है, जो काबिल निरस्ती के है । जैर अपील रकबा का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष उक्त रकबा का प्रकरण जैरकार है, जिसके बाबत मातहत न्यायालय ने स्वय ने रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को भेजी है इसके अलावा मातहत न्यायालय ने अपीलाट के पीठ के पीछे अपीलांट की तलबी करवायें बगैर अपने ही कयासों के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो पृथम दृश्टया ही निरस्ती योग्य है । अपीलांट के रकबा में से रास्ता निकालने के आदेश मातहत न्यायालय ने दे दिये जबकि इस रकबा में से स्वीकृत शुदा रास्ता के अलावा अन्य रास्ता की आज तक कभी भी आव यकता ही महसूस किसी को नही हुई क्योंकि इस रकबा से चिपते काश्तकार अन्य स्वीकृत शुदा रास्ता से आते जाते है। इसलिये भी जैरअपील आदेश निरस्ती योग्य है। खसरो के अन्य काश्तकारों को जैर अपील रास्ता के अलावा अन्य रास्ते लगते हे। जो चालु भी है मात्र अपीलाण्ट के खेत के दो टुकडे करने की रजिंश से उतरवादी न. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र मातहत न्यायालय में पेश किया व उस पर मातहत न्यरायालय द्वारा प्रार्थी को बिना सुन एक तरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो कि पृथम दृश्टया ही विधी विरूद्व व प्राकृतिक न्याय के सिदान्तों के खिलाफ होने से काबिल निरस्ती के है। राजस्व मण्डल के निर्णय/कानुनी नजीरों अनुसार अगर किसी काश्तकार को दुसरा रास्ता लगता है। चाहे व कितना ही कठिन व दुर्गम हो अपनी सुविधा हेतू काश्तकार दुसरे रास्ता कि मांग नही कर सकता जैर अपील आदेश भी आदलत मातहत द्वारा बिना मौका देखे अपने कायासों के आधार पर पारित किये गये होने से काबिल निरस्ती के है व अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर श्रीमान तहसीलदार सुरतगढ का निर्णय दिनांक 18.10.2019 को निरस्त किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

गुणावगुण के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 18.10.2019 को अपीलाण्ट के खातेदारी रकबा में बिना खसरा नम्बर के रास्ता खोंलने के आदेश दिये जो विरूद्व रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिदान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्ती होने योग्य है। अपीलाट का रोही चाहडसर जमाबन्दी सवंत 2070 ता 2073 के खाता न. 175/297 के खसरा न. 25 में 1.429 हैक बारानी प्रथम व खसरा न. 27 में 3.566 हैक इस प्रकार इस खाते में कुल 4.995 हेक व खाता न. 176/147 के खसरा न. 26 में 10.927 हैक बारानी प्रथम व खसरा न. 460/26 में 4.148 हैक बारानी दोयम व खसरा न. 462/58 में 0.658 हैक बारानी दोयम व खसरा न. 463/27 में 4.957 हैक बारानी दोयम इस प्रकार कुल 20.690 हैक बारानी प्रथम व दोयम खातेदारी रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जैर अपील रकबा के खसरा न. 26 व 463/27 की सींव पर से स्वीकृत शुदा रास्ता है इसके अलावा अन्य कही से कोई रास्ता नही व इस स्वीकृत शुदा रास्ता के अलावा अपीलाटं के रकबा में से कोई भी रास्ता आज तक कभी भी नही चला है व ना ही रास्ता स्वीकृत हुआ है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा इस सबंध में कोई रिपोर्ट नहीं ली गई कभी मौका नही देखा गया ना ही मातहत न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुना गया मात्र उतरवादी न. 1 व 2 के एक प्रार्थना पत्र पर अपीलाट के खातेदारी रकबा पर रास्ता खोलने के आदेश जारी कर दिये। जबकि उतरवादी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:15:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

न. 1 व 2 का इस रास्ता पर कोई रकबा नही पड़ता व ना ही इस रास्ता का कोई लेना देना है इसलिये भी अपील स्वीकार योग्य है व जैरअपील आदेश काबिल निरस्ती के है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अनुसार स्वीकृति शुदा रास्ता को खुलवाने का अधिकार 45 दिन तक ग्राम पंचायत को होता है परन्तु मातहत न्यायालय ने कानुन के विपरीत जाकर जैर अपील आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया है, जो काबिल निरस्ती के है । जैर अपील रकबा का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष उक्त रकबा का प्रकरण जैरकार है, जिसके बाबत मातहत न्यायालय ने स्वय ने रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को भेजी है इसके अलावा मातहत न्यायालय ने अपीलाट के पीठ के पीछे अपीलांट की तलबी करवायें बगैर अपने ही कयासों के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो पृथम दृश्टया ही निरस्ती योग्य है । अपीलांट के रकबा में से रास्ता निकालने के आदेश मातहत न्यायालय ने दे दिये जबकि इस रकबा में से स्वीकृत शुदा रास्ता के अलावा अन्य रास्ता की आज तक कभी भी आवश्यकता ही महसूस किसी को नही हुई क्योंकि इस रकबा से चिपते काश्तकार अन्य स्वीकृत शुदा रास्ता से आते जाते है। खसरो के अन्य काश्तकारों को जैर अपील रास्ता के अलावा अन्य रास्ते लगते हे। जो चालु भी है मात्र अपीलाण्ट के खेत के दो टुकडे करने की रजिंश से उतरवादी न. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र मातहत न्यायालय में पेश किया व उस पर मातहत न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बिना सुन एक तरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो कि पृथम दृश्टया ही विधी विरूद्व व प्राकृतिक न्याय के सिदान्तों के खिलाफ होने से काबिल निरस्ती के है। राजस्व मण्डल के निर्णय/कानुनी नजीरों अनुसार अगर किसी काश्तकार को दुसरा रास्ता लगता है चाहे वह कितना ही कठिन व दुर्गम हो अपनी सुविधा हेतू काश्तकार दुसरे रास्ता कि मांग नही कर सकता जैर अपील आदेश भी आदलत मातहत द्वारा बिना मौका देखे अपने कायासों के आधार पर पारित किये गये होने से काबिल निरस्ती के है व अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर श्रीमान तहसीलदार सुरतगढ का निर्णय दिनांक 18.10.2019 को निरस्त किया जावें।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम चाहडसर के जैर अपील चालू आम रास्ता को बंद कर दिया उक्त रास्ता को खुलवाने बाबत् ग्रामवासी चाहडसर द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष दिनांक 14.10.2019 पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ को प्राप्त हुआ। पटवारी हल्का रत्तासर व भू.अ.निरीक्षक ढुकराना की रिपोर्ट दिनांक 18.10.2019 मे भी यह अंकित किया कि रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है ग्राम चाहडसर में उत्तर पश्चिम दिशा की और खेतों में जाने वाला रास्ता है जो काफी समय से आवागमन के काम में आता रहा है जिसे मनफूल पुत्र पन्नालाल जाति जाट निवासी चाहडसर द्वारा तारबंदी कर बंद कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए चालू कटानी रास्ता को खुलवाने के आदेश दिनांक.18.10.2019..को पारित किया है जो विधि सम्मत है। दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2018 पेज 117 की और ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251 में दिनांक 14.7.2009 के बाद धारा 251 के तहत कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो विधि सम्मत है न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2006 पेज संख्या 260, आरबीजे 2019 पेज संख्या 54 की और ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि जब किसी खातेदार का रकबा मे आने जाने हेतु रास्ता बंद कर दिया जाता है तो तहसीलदार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही उपरांत रास्ता खुलवा सकता

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:15:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

है। आरआरडी 2017 पेज संख्या 121, की और ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि तहसीलदार सार्वजनिक रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश स्वतः प्रसंज्ञान लेकर या किसी संस्था या व्यक्ति के आवेदन पर कर सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ का जैर अपील आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

वहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया कि ग्रामवासी चाहडसर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2019 को पेश किया। जिस पर पटवारी व भू.अ.निरीक्षक ठुकराना की रिपोर्ट दिनांक 18.10.2019 मे यह अंकित किया कि रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है ग्राम चाहडसर में उत्तर पश्चिम दिशा की और खेतों में जाने वाला रास्ता है जो काफी समय से आवागमन के काम में आता रहा है जिसे अपीलांट द्वारा तारबंदी कर बंद कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ही चालू कटानी रास्ता को खुलवाया गया है जो विधि सम्मत है। प्रकरण में लोक सुखाचार एवं लोकहित को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को निरस्त करना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक ०५.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:15:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner